

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 21/2019 FSSA

- सरकार जरिये श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

- श्री रामअवतार गुप्ता पुत्र श्री ब्रजमोहन लाल गुप्ता निवासी ग्राम पोस्ट मोतीवाडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर विक्रेता मालिक मैसर्स:- सौखिया एन्टरप्राइजेज, पुरानी अनाज मण्डी, बांदीकुई ।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित ।
: अप्रार्थी अनुपस्थित ।

—: आदेश :-

दिनांक:- 11.09.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक एफएसएसए/एफएसओ/637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किये गये हैं और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र में आते हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 28.12.2018 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्स:- सौखिया एन्टरप्राइजेज, पुरानी अनाज मण्डी, बांदीकुई स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री रामअवतार गुप्ता पुत्र श्री ब्रजमोहन लाल गुप्ता निवासी ग्राम पोस्ट मोतीवाडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ रजिस्ट्रेशन नहीं होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में लकड़ी के रैक में खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Cow Milk Eclairs) 320 ग्राम वजनी के 30 पॉली पैक पैकिट आम जनता को बेचने हेतु रखे हुए थे, में मिलावट का शक होने पर नमूने की जांच हेतु 4 पॉली पैक 320 ग्राम Sugar Boiled Confectionary (Cow Milk Eclairs) खरीदा। जिनकी कीमत 112 रुपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा 4 पॉली पैक 320 ग्राम Sugar Boiled Confectionary (Cow Milk Eclairs) के पैकिटों पर लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता (एफ.बी.ओ.) के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को पैकिटों पर चिपकाकर पैकिटों को अलग-अलग एक खाकी कागज में लपेट कर पैकिटों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Web Copy - Not Official

द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.-2070 गोंद से चिपकाकर पैकिटो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार- चार जगह से चपडी से सील मोहर कर पैकिटो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहन को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहन के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं० 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं० 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं० 6 का सील बंद लिफाफा श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी एफएसओ मुख्यालय द्वारा दिनांक 31.12.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज० जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं० 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 31.12.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं० 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 01.01.2019 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Cow Milk Eclairs) के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2407/एक्ट/2018/61 दिनांक 15.01.2019 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Cow Milk Eclairs) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभियुक्त बहस के दौरान अनुपस्थित रहा।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2407/एक्ट/2018/61 दिनांक 15.01.2019 द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Cow Milk Eclairs) के सैम्पल के लेबल पर निम्न जानकारी अंकित नहीं होने के कारण मिसब्राण्ड बताया गया है।

1. "Permitted Flavour used given on the label of sample but the class/type of permitted flavor used in the product not mentioned on the label of sample"
2. Batch No. Not Printed
3. FSSAI No. Not Printed
3. Date of Mfg./Pkg. Not Printed
4. Best before Not Printed
5. Nutritional Information Not Printed
6. Name & Address of Mfr./Pkr. : Incomplete

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने FSSAI 2006 के रेगुलेशन नं. 2.2.1(7), 2.2.2(3), 2.2.2(5), 2.2.2(6), 2.2.2(8) एवं 2.2.2(9) एवं 2.2.2(10) (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) का उल्लंघन होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड बताया है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित करने का श्रम करे।



न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्र0 सं0 : 21 / 2019 FSSA

हमने प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./2407/एक्ट/2018/61 दिनांक 15.01.2019 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Cow Milk Eclairs) के लेबल पर जानकारी अपूर्ण अंकित होने के कारण FSSA 2006 के (पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियम) का उल्लंघन होने के कारण मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ Sugar Boiled Confectionary (Cow Milk Eclairs) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री रामअवतार गुप्ता पुत्र श्री ब्रजमोहन लाल गुप्ता निवासी ग्राम पोस्ट मोतीवाडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर विक्रेता मालिक मैसर्स:- सौंखिया एन्टरप्राइजेज, पुरानी अनाज मण्डी, बांदीकुई पर 20,000/- (अक्षरे बीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 11.09.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया

गया।



कमांक / 1917-1919
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री रामअवतार गुप्ता पुत्र श्री ब्रजमोहन लाल गुप्ता निवासी ग्राम पोस्ट मोतीवाडा, तहसील राजगढ, जिला अलवर विक्रेता मालिक मैसर्स:- सौंखिया एन्टरप्राइजेज, पुरानी अनाज मण्डी, बांदीकुई।

(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
दिनांक:- 13 .09.2019



(लोकेश कुमार मीना)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा
जिला मजिस्ट्रेट दौसा